



निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर0टी0ई0) के अंतर्गत सत्र 2025-26 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीट के विरुद्ध रिक्त सीटों पर नामांकन से संबंधित सूचना

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-237 दिनांक-16.02.2016 के अनुपालन में गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर पड़ोस के (क्रमशः 1 कि०मी०, 3 कि०मी०, अंततः 6 कि०मी० दूरी सीमा तक) अभिविंचित समूह (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40% से अधिक निःशक्त बच्चे एवं अनाथ बच्चे) एवं कमजोर वर्ग (जिनके परिवार की सभी स्त्रियों से वार्षिक आय रू० 72,000.00 से कम हो) के बच्चों का नामांकन पूर्ण किया जाना है। जिसके निमित्त प्रथम चरण में विद्यालयों में नामांकन के उपरान्त 243 सीट रिक्त है। रिक्त सीटों पर इच्छुक अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।

अभिभावकों की सुविधा के लिए सूचित किया जाता है कि (क) पास पड़ोस की दूरी सीमा का निवासी होने के लिए पालक/अभिभावक का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल जिसमें उनका नाम एवं निवास का पता अंकित हो, मान्य होंगे, (ख) अभिविंचित एवं कमजोर वर्ग की मान्यता के लिए पालक/अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, निःशक्त बच्चे के लिए चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं आय के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, (ग) प्रवेश कक्षा 1 में नामांकन हेतु 5 वर्ष 6 माह से 7 वर्ष के बीच होगी एवं (घ) उम्र की गणना 31 मार्च 2025 होगी। आवेदन कार्यालय के वेबसाइट <https://rtegarhwa.in> पर ऑनलाईन 02.07.2025 से 17.07.2025 तक भरा जायेगा।

आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में कोई भी गलत प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने की पूरी जवाबदेही संबंधित पालक/अभिभावक की होगी तथा दावेदारी निरस्त कर दी जायेगी। आवेदन हेतु निम्न तालिका के कॉलम 02 में विद्यालय का नाम अंकित है। कॉलम 04 में प्रवेश कक्षा/कक्षाओं में कुल सीटों की संख्या एवं कॉलम 05 में आर0टी0ई0 नामांकन हेतु 25 प्रतिशत सीट की संख्या तथा कॉलम 06 में रिक्त सीटों की संख्या अंकित है।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम एवं पता	प्रखण्ड	कक्षा 01 की क्षमता	25 प्रतिशत कोटा के तहत निर्धारित सीट	द्वितीय चरण में रिक्त सीट
01	02	03	04	05	06
1	बी.एस.के.डी. पब्लिक स्कूल, नवादा मोड़, गढ़वा	गढ़वा	120	30	7
2	जी०एन० कॉन्वेन्ट स्कूल	गढ़वा	40	10	10
3	साउथ प्वाइंट पब्लिक स्कूल, गढ़वा	गढ़वा	40	10	9
4	शांति निकेतन स्कूल, तिलदाग, गढ़वा	गढ़वा	40	10	7
5	ब्राइट फ्यूचर स्कूल, सोनपुरवा, गढ़वा	गढ़वा	40	10	9
6	बी०पी०डी०ए०बी० पब्लिक स्कूल, फरठिया, गढ़वा	गढ़वा	40	10	10
7	ए०आर०डी० पब्लिक स्कूल, नहर रोड, विशुनपुर, गढ़वा	गढ़वा	40	10	0
8	जेम्स मिशन स्कूल, सोनपुरवा, गढ़वा (नियर रेलवे स्टेशन)	गढ़वा	40	10	10
9	कौटिल्य विद्यालय, खजुरी, गढ़वा	गढ़वा	40	10	10
10	सी०पी० मेमोरियल स्कूल, सहिजना, गढ़वा	गढ़वा	80	20	7
11	जे०पी०एस० सेन्ट्रल स्कूल, पटेल नगर, दीपवां, गढ़वा	गढ़वा	60	15	15
12	आर०के० पब्लिक स्कूल, सोनपुरवा, गढ़वा	गढ़वा	80	20	18
13	ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, टंडवा, गढ़वा	गढ़वा	40	10	6
14	मिशन मा०वि० भण्डरिया	भण्डरिया	40	10	2
15	एस०जी०एन० मॉडर्न किन्डर गार्टन, मेराल	मेराल	80	20	7
16	एस०डी० मेमोरियल एकेडमी, मेराल	मेराल	50	12	8
17	एन०पी०एस० गुरुकुलम स्कूल, मेराल	मेराल	40	10	7
18	सरस्वती ज्ञान मंदिर, रंका	रंका	40	10	0
19	अपग्रेडेड नर्सरी इंग्लिस स्कूल, बुका, भवनाथपुर	भवनाथपुर	40	10	7
20	होलीफेथ पब्लिक स्कूल, डंडई	डंडई	80	20	20
21	सृजन पब्लिक स्कूल, डंडई	डंडई	80	20	19
22	आर०के० पब्लिक, बंशीधर नगर उँटारी	नगर उँटारी	40	10	6
23	एम.के. इंटरनेशनल स्कूल, नगर उँटारी	नगर उँटारी	48	12	11
24	आर०के० पब्लिक स्कूल, उंचरी मझिआँव	मझिआँव	40	10	8
25	ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल, बिरबल, सगमा	सगमा	120	30	30
कुल-			1398	349	243



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय-झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा
विकास भवन-बी0 समाहरणालय परिसर, प्रथम-तल

Email ID- s.s.a.garhwa@gmail.com

jepcgarhwa@rediffmail.com

इच्छुक अभिभावकों से आग्रह है कि अपने पाल्य के नामांकन हेतु उसी विद्यालय के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगे जो उनके पास-पड़ोस में अवस्थित है। विशेष जानकारी के लिए संबंधित विद्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

अतएव जिले के सभी आमजनों से अनुरोध है कि सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना के तहत बच्चों के निःशुल्क शिक्षा हेतु ऑनलाईन नामांकन के लिए अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे।

नोट :-

1. आवेदकों की सुविधा हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना कार्यालय, गढ़वा के प्रवेश द्वार के सामने हेल्प डेस्क कार्य करेगा, जिसमें फॉर्म भरने एवं संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी।
2. इच्छुक अभिभावकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पाल्य के नामांकन हेतु उसी विद्यालय के लिए आवेदन पत्र समर्पित करेंगे, जो उनके पास पड़ोस (क्रमशः 1 कि०मी०, 3 कि०मी०, अंततः 6 कि०मी० दूरी सीमा तक) में अवस्थित है तथा जहां उनके पाल्य के उम्र अनुरूप प्रवेश कक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
3. कृपया निम्नलिखित विकल्प में से प्रत्येक का कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे :

* जन्म प्रमाण-पत्र का प्रमाण :

जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र अधिनियम के अंतर्गत जन्म प्रमाण-पत्र।

** आवास प्रमाण-पत्र का प्रमाण :

1. बच्चे का नाम वाले पिता/माता के नाम पर जारी राशन कार्ड/बी०पी०एल० राशन कार्ड।
2. बच्चे का या उसके माता-पिता के निवास का प्रमाण-पत्र।
3. माता-पिता/अभिभावक में से किसी एक का निवास का प्रमाण-पत्र।
4. माता-पिता/अभिभावक में से किसी एक का बिजली बिल/टेलीफोन बिल।
5. आधार कार्ड।
6. माता-पिता/अभिभावक में से किसी एक का जॉब कार्ड।

*** आय प्रमाण-पत्र का प्रमाण :

अंचलाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र।

**** अभिवंचित वर्ग का प्रमाण :

1. उपायुक्त/अनुमण्डलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
2. सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि बच्चा निःशक्त हो।
3. अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी/मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-

अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा।

ज्ञापांक 987/JEP, Garhwa दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. सभी संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने विद्यालय में वर्णित प्रक्रिया के तहत शत-प्रतिशत नामांकन हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा अंतर्गत सार्वजनिक स्थल यथा-सरकारी कार्यालय बैंक, डाकघर, रेलवे स्टेशन आदि पर नामांकन संबंधी सूचना चस्पा कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे तथा अभिभावकों को ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया से अवगत करायेंगे। आवेदकों की सुविधा हेतु विद्यालय में एक हेल्पडेस्क बनाएंगे। इस कार्य हेतु विद्यालय के एक शिक्षक को प्रभारी नियुक्त करेंगे।
2. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-समन्वयक, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रबंधक,- गढ़वा, मेराल, डण्डई, नगर उंटारी, भवनाथपुर, रंका, भण्डरिया, मझिआंव एवं सगमा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि 25 प्रतिशत सीट पर नामांकन हेतु अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा, रंका एवं नगर उंटारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र- हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर एवं दैनिक भास्कर के गढ़वा अंक में आगामी संस्करण में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा को सूचनार्थ समर्पित।
6. उपायुक्त, गढ़वा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-

अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा।

ज्ञापांक 987/JEP, Garhwa दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपि:-

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र- हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर एवं दैनिक भास्कर के गढ़वा अंक में आगामी संस्करण में प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय।

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-

अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गढ़वा।